न्यायालय श्रीमान् वोर्ड आफ रेवन्यू श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)

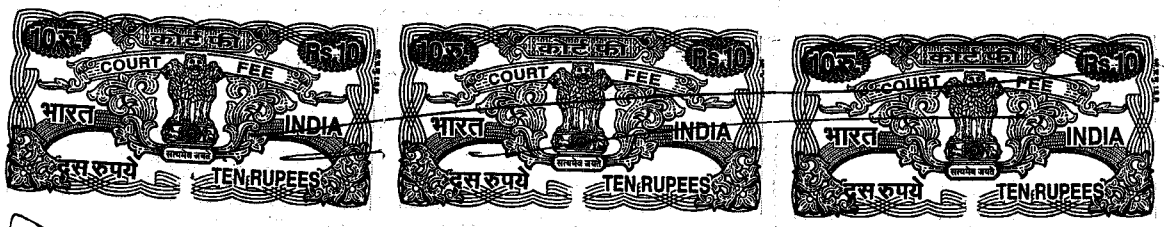

Rs 30/-

237
3.7.15

निगरानी 2520-II-15

इन्द्रभान तनय श्री रामबहोर पटेल उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बघौडी तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.) ———पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

इन्द्रपति तनय श्री सीताराम पटेल उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बघौडी तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.) ——गैर पुनरीक्षणकर्ता

श्री राकेश तिवारी एड. द्वारा आज दिनांक 03-7-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अन्तर्गत आदेश विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ/27/04–05 आदेश दिनांक 13.05.15

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

मान्यवर

क्रमांक..............................
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक.............. प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण के आधार निम्न है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन नक्शा तरमीम करते समय न्यायालय तहसीलदार तहसील सिहावल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7–अं/27/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 17.10.08 का न्यायिक मन से विवेचन न कर प्रश्नाधीन नक्शा तरमीम उक्त आदेश के विरूद्ध पारित किया है फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त होने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन नक्शा तरमीम का आदेश पारित करते समय ग्राम बघौडी के फर्द बटवारा दिनांक 05.02.05 एवं ग्राम सुडवार के फर्द बटवारा दिनांक 04.02.05 का अवलोकन कतई नही किया उक्त फर्द बटवारा में पुनरीक्षणकर्ता के कहीं हस्ताक्षर नही है और इसी तरह स्थल पंचनामा दिनांक 23.12.14 जो ग्राम बघौडी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2520-II/15 जिला सीधी

इन्द्रभान पटेल/इन्द्रपति पटेल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/2015	1. प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर आदेश हेतु लिया गया। 2. आवेदक के अभिभाषक श्री राकेश तिवारी के तर्क ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल, जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 07/अ–27/04–05 आदेश दिनांक 13.05.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक द्वारा मुख्य तथ्य यह बताया गया है कि नक्शा तमीम की कार्यवाही एवं मौके पर आवेदक की अनुपस्थिति में बिना उसे सूचना दिये वगैर नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गयी है, जो अवैधानिक है। यह भी बताया गया कि नक्शा तरमीम का आदेश पारित करते समय ग्राम बघौड़ी के फर्द बंटवारा दिनांक 05.02.2005 एवं ग्राम सुड़वार के फर्द बटवारा दिनांक 04.02.2005 का कतई विचार नहीं किया गया है। आवेदक के फर्द बटवारा तथा स्थल पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कूट रचित स्थल पंचनामा तैयार किया गया है। अतः तहसीलदार, सिहावल का प्रकरण क्रमांक 7/अ–27/2004–05 आदेश दिनांक 13.05.15 को निरस्त किया जाकर राजस्व प्रकरण क्रमांक 07/अ–27/2004–05 आदेश दिनांक 17.10.08 अनुरूप नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आदेश जारी किया जाय। 3. मैंने आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार तथा संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश 13.05.15 एवं उसके साथ फर्द बंटवारा, स्थल पंचनामा दिनांक 21.12.14 व 12.05.15 तथा पटवारी प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से पाया गया कि आवेदक के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। विवादित नक्शा तरमीम के बावत् दो बार स्थल पंचनामा तैयार किया गया है किन्तु आवेदक को नक्शा तरमीम की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना नहीं पाया जाता, जिससे यह स्पष्ट है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही एक पक्षीय तौर पर की गयी है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिया गया है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
	4. उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.5.15 त्रुटिपूर्ण निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि स्वयं स्थल से जाकर हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना देते हुये नक्शा तरमीम का प्रस्ताव तैयार कराये एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण का निराकरण शीघ्र करें। 5. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। 6. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा0द0 हो। सदस्य	